

**राजीव,
पब्लिक प्रॉब्लिक विद्या परीषद,
उत्तर प्रदेश गोरखपुर।**

संख्या- प्रागिय/परीषद सम्बद्धता/2022/11127

तारीख: दिनांक: 23-12-2022

-कार्यालय प्रेष-।

राजिक सभा (विधि): 888/2022 एवं 847/2022 में का. उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किये गये दिनांक 21-10-2022 के अनुयायन में शामिल कार्यालय और शिक्षक नई दिल्ली द्वारा सेंटिक नव 2022-23 हेतु विनोदा इन शामिल परीषद हेतु अनुयायन प्राप्त किए जाने के सम्बन्ध में दिनांक 23-12-2022 को प्रागिय कार्यालय में सम्बद्धता सविन की बैठक संचालित हुई। बैठक में सविन द्वारा नव 2022-23 हेतु सी.सी.आई. द्वारा नई दिल्ली इन शामिल सम्बन्धों को प्राप्त अनुयायन के अनुयायन में सम्बद्धता प्राप्त किए जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता सविन की बैठक में सविन को अनुयायन के विषय सभा को प्रागिय विद्या परीषद, 30 30 नवंबर द्वारा नव 2022-23 हेतु निर्धारित गती के अर्थात् अनुयायन एवं उसके अर्थात् प्रेष भवना हेतु सम्बद्धता प्राप्त की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम:- 4206, पब्लिक प्रॉब्लिक कार्नेज आफ इन्वैस्टी, राखीपुर, इण्डियन प्रागिय प्रोटेक्शन सोड, गोरखपुर सहर, गोरखपुर।			
क्र.सं.	सम्बद्धता का नाम	सी.सी.आई. द्वारा नव 2022-23 हेतु अनुयायन प्रेष भवना	परीषद द्वारा नव 2022-23 हेतु अनुयायन प्रेष भवना
1	विनोदा इन शामिल	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें-

- ✓ संस्था सी.सी.आई. द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश पब्लिक विद्या परीषद एक्ट 1992 तथा पब्लिक विद्या परीषद विनियमकारी 1992, विनियमकारी-2000, संशोधन विनियमकारी-2011 तथा सचय-सचय पर निर्णय आसपास की अनुयायन करेगी तथा अनुयायन सविन द्वारा निर्धारित अनुयायन प्रेष भवना/सचय/सचय में प्राप्त किया जायेगा। अनुयायन के अर्थात् अनुयायन/सचय/सचय में अनुयायन के सम्बन्ध में सचय-सचय पर अनुयायन द्वारा निर्णय किये जाने वाले आसपास प्रेष भवना हेतु, और अनुयायन कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। सविन निर्धारण सविन द्वारा सवि नव 2022-23 हेतु सचय का पूर्णतः पालन किया जाता है, जो सचय की अनुयायन को प्राप्त करेगी।
- ✓ संस्था में अनुयायन प्रेष भवना परीषद द्वारा अनुयायन प्रेष भवना को ही प्रेष भवना करेगा।
- ✓ संस्था को सचय-सचय पर निर्णय आसपास के अनुयायन निर्धारण एवं सम्बद्धता अनुयायन प्राप्त करेगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सचय द्वारा किये गये विधि/विनियम/अर्थात्/आसपास/विनियम एवं विनियम, पब्लिक विद्या, 3030, अनुयायन प्रेष भवना परीषद 3030 तथा पब्लिक विद्या परीषद, 3030 द्वारा किये गये विनियम, विनियमों अर्थात्/विनियमों का पालन करने के लिये आवश्यक है।
- ✓ सवि संस्थाओं का सी.सी.आई. में अनुयायन निर्णय किया जाता है जो इन सचय में सचय अनुयायन संस्था का होगा और विनियम नव में किये गये कार्यवाही के लिए संस्था सचय अनुयायन करेगी। पब्लिक विद्या परीषद अनुयायन प्रेष भवना परीषद पब्लिक विद्या विनियम एवं पब्लिक विद्या विनियम उत्तर प्रदेश सचय के विनियम सवि कोई बात सचय किया जाता है तथा सचय सचय के सचय में का. न्यायालय द्वारा किये गये की अनुयायन संबंधी अर्थात् निर्णय किया जाता है जो सचय अनुयायन सचय संस्था को करेगी।
- ✓ संस्थाओं को अनुयायन प्रेष भवना परीषद उत्तर प्रदेश नवंबर द्वारा प्रेष भवना के लिए अनुयायन प्रेष भवना हेतु कार्यालय प्रेष भवना हेतु के पूर्व सी.सी.आई. में अनुयायन प्राप्त का परीषद कार्यालय को अनुयायन भवना होगा अर्थात् प्रेष भवना की कार्यालय के पालन में प्रेष भवना के अर्थात् पर/सचय प्रेष भवना अनुयायन प्राप्त नहीं की जायेगी।

Handwritten signature


PRINCIPAL
Pacific College of Pharmacy
Gorakhpur

कार्यालय,**राष्ट्रीय, प्राविधिक शिक्षा परिषद,****उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2023/12090001

लखनऊ: दिनांक: 12-09-2023

:कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एवं फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संचालित डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद्, 30 प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद् कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद्, 30 प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4206-PACIFIC COLLEGE OF PHARMACY			
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/ पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद् द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 311/16-3099/9/2022 टी0सी0-1 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से संचालित समस्त संस्थानों की जॉब के विरुद्ध भारतीय न्यायालय में चालित रिट प्राधिक संख्या 5027/2023 में भारतीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन संबद्धता निर्गत की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के मानक के अनुरूप संस्थान में समस्त संसाधन (भूमि, भवन, तैब उपकरण) आदि उपलब्ध हैं।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद् विनियमवली 1992, विनियमवली-2000, सेमेस्टर विनियमवली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2023-24 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद् द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा परिषद्, 30 प्र० लखनऊ, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, 30 प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद्, 30 प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये